## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ...

**समक्षः एम0के0 सिंह**
**सदस्य**

प्रकरण क्रमांक निग0 1736–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11... पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला विदिशा म.प्र. प्रकरण क्रमांक 35/बी–103/13–14.

----

अजीत कपूर आत्मज श्री सत्यजीवन कपूर
निवासी अन्दर किला बैस दरवाजे के पास,
विदिशा जिला म.प्र. ---- आवेदक

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प
पंजीयक कार्यालय जिला विदिशा म.प्र.
2– नीरज पटेल आ. श्री छोगामल जीपटेल,
निवासी ग्राम जाटखेड़ी तहसील हुजुर
जिला भोपाल म.प्र. ---- अनावेदकगण

----

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमसिंह ठाकुर.
अनावेदक क. 2 की ओर से अधिवक्ता, श्री बी.के. श्रीवास्तव.

----

:: आदेश ::

( आज दिनांक 12–03–15 को पारित)

----

यह निगरानी कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/बी–103/13–14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.13 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट ( जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा ) की धारा 56(4) के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुबंधगृहीता अनावेदक क. 2 द्वारा एक विक्रय अनुबंध पत्र कीमती रूपये 1,23,41,000/– जो दिनांक 20.10.11 को 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित है उसे यथामुद्रांकित करने का आवेदन पेश किया । उक्त आवेदन के परिप्रेक्ष्य में दस्तावेज को मुद्रांक अधिनियम की धारा 33, 40 के तहत दर्ज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की एवं आदेश दिनांक 30.11.13 द्वारा यह पाया कि उक्त अनुबंध पत्र कब्जा रहित है

जिस पर मुद्रांक अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 5(ड़) (दो) के अनुसार अनुबंध राशि का 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क देय है, उक्त आधार पर उन्होंने 1,23,410 / — रूपये तथा अर्थदण्ड रूपये 59237 / — कुल राशि रूपये 182547 / — 30 दिवस में आवेदक को जमा कराने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिए हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्र. 2 की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षों को सूचनापत्र जारी करने के आदेश दिए तथा प्रकरण में पेशी दिनांक 29.11.13 नियत की गई परंतु 29.11.13 का सूचनापत्र आवेदन को तामील नहीं कराया गया तथा आवेदक की अनुपस्थिति में विवादित आदेश पारित किया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को नियमानुसार सूचना एवं सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है जबकि आवेदक हितबद्ध पक्षकार था तथा अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को भी कथत अनुबंध पत्र के संबंध में अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना आवश्यक था । आदेश पारित करने के पूर्व प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लेशमात्र पर विचार नहीं किया है ।

यह तर्क दिया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक द्वारा अपनी निजी आवश्यकता हेतु अनावेदक क्र. 2 से ऋण प्राप्त किया तथा तथा ऋण की सुरक्षा हेतु प्रश्नाधीन अनुबंध 100 / — के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया । प्रश्नाधीन भूमि का वर्तमान में बाजार मूल्य तीन करोड़ रूपये से अधिक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किए बिना ही विवादित कार्यवाही करने में त्रुटि की है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं माना जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने केवल अनावेदक क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से सहमत होते हुए आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनावेदक क्र. 2 द्वारा विवादित अनुबंध के आधार पर आवेदक के विरूद्ध तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विदिशा के समक्ष प्रकरण पेश किया है । उक्त प्रकरण के आधार पर आवेदक को आलोच्य आदेश की जानकारी हुई । जिस पर से उन्होंने विवादित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि

हेतु आवेदन दिया जो दिनांक 2.4.14 को प्राप्त हुई उसके तत्काल बाद यह पुनरीक्षण पेश की गई है जो समयावधि में है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

5/ अनावेदक क. 2 के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क पेश करने हेतु समय दिया गया था जो उनके द्वारा आज दिनांक तक पेश नहीं किए गए हैं ।

6/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध–पत्र पर उचित मुद्रांक शुल्क अदा करने हेतु अनुबंधगृहीता ( अनावेदक कमांक 2 )द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । इस प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आवेदक एवं अनावेदक कमांक 2 के मध्य प्रश्नाधीन अनुबंध निष्पादित हुआ है, जिस पर मुद्रांक अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टाम्प शुल्क अदा नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अनुबंधगृहीता की सहमति से मुद्रांक अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 5 (ड़) (दो) के अनुसार अनुबंध राशि का 1 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क निर्धारित करने के आदेश देते हुए अनुबंधग्रहीता ( अनावेदक कमांक 2 ) को कमी मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति जमा करने के जो आदेश दिए हैं वह उचित और न्यायिक हैं और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

( एम. के. सिंह )
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर